भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 908

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

908. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार की उक्त मिशन में राज्यों को शामिल करने की कोई कार्यनीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्यों को प्रदान की जा रही तकनीकी एवं वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। एबीडीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य पारिप्रणाली के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतर-संचालनीयता को सक्षम बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) सृजित करना है। एबीडीएम में देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सहयोग करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करने की परिकल्पना की गई है । मिशन के मुख्य घटकों में नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लेखा (एबीएचए), स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा केंद्र रजिस्ट्री (एचपीआर) और एबीएचए पीएचआर [व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड] एप्लिकेशन शामिल हैं। एबीडीएम द्वारा सृजित डिजिटल स्वास्थ्य पारिप्रणाली निर्बाध तरीके से निरंतर प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु सहयोग करती है।

एबीडीएम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 तक 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित बजट 1600 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, मानव संसाधन, क्षमता निर्माण (सीबी) और सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) कार्यकलापों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधियां प्रदान की जाती हैं ताकि इस मिशन को संचालित किया जा सके और सभी सुविधा केंद्रों/स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने में आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके और एबीडीएम पारिप्रणाली के तहत सभी राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों/समाधानों को एकीकृत किया जा सके। वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (20 नवंबर, 2024 तक) के दौरान, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 83.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन संवितरणों का विवरण **अनुलग्नक-I** के अनुसार हैं।

राज्यों को शामिल करने और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए , एबीडीएम के लिए राज्य कार्यालय स्थापित करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईईसी/सीबी गतिविधियों को शुरू करने के लिए एनएचए द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एबीडीएम की प्रगति की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए उचित स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ) और (ङ): जी हाँ, राज्य स्तर पर एबीडीएम के कार्यालय स्थापित करने के लिए 8 मार्च 2022 को जारी एबीडीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मानव संसाधन सहयोग के लिए निधियां आवंटित की गई हैं।

इस संबंध में, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पूर्ण कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया है, जबकि 5 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आंशिक पीएमयू का दर्जा प्राप्त है। मानव संसाधन प्रस्ताव में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित संसाधनों की संख्या **अनुलग्नक-II** के अनुसार है।

तीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- ओडिशा, दिल्ली तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह - अपने पीएमयू को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया में हैं।

अनुलग्नक- I

वित्त वर्ष 2021-22 से 20.11.2024 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)		
राज्य	आवंटन	जारी की गई धन राशि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	₹ 5.13	₹ 0.51
आंध्र प्रदेश	₹ 19.21	₹ 10.47
अरुणाचल प्रदेश	₹ 5.52	₹ 1.81
असम	₹ 13.75	₹ 3.18
बिहार	₹ 22.97	₹ 3.82
चंडीगढ़	₹ 5.51	₹ 0.09
छत्तीसगढ	₹ 12.60	₹ 1.28
दिल्ली	₹ 11.48	₹ 0.05
डीएनएचडीडी	₹ 5.14	₹ 1.48
गोवा	₹ 5.52	₹ 2.40
गुजरात	₹ 18.39	₹ 1.84
हरियाणा	₹ 12.60	₹ 1.08
हिमाचल प्रदेश	₹ 9.77	₹ 0.96
जम्मू और कश्मीर	₹ 10.39	₹ 1.99
झारखंड	₹ 14.19	₹ 1.54
कर्नाटक	₹ 18.79	₹ 3.76
केरल	₹ 13.86	₹ 3.32
लद्दाख	₹ 5.13	₹ 2.09
लक्षद्वीप	₹ 5.11	₹ 0.17
मध्य प्रदेश	₹ 20.22	₹ 4.06
महाराष्ट्र	₹ 23.37	₹ 1.42
मणिपुर	₹ 6.13	₹ 2.86
मेघालय	₹ 6.14	₹ 2.36
मिजोरम	₹ 5.51	₹ 2.10
नागालैंड	₹ 5.55	₹ 0.92
ओडिशा	₹ 17.19	₹ 0.05
पुदुचेरी	₹ 5.52	₹ 1.04
पंजाब	₹ 13.24	₹ 2.23
राजस्थान	₹ 19.69	₹ 3.45
सिक्किम	₹ 5.14	₹ 0.64
तमिलनाडु	₹ 19.86	₹ 4.78
तेलंगाना	₹ 14.27	₹ 2.48
त्रिपुरा	₹ 6.17	₹ 1.24
उत्तर प्रदेश	₹ 32.48	₹ 1.56
उत्तराखंड	₹ 10.27	₹ 1.92
पश्चिम बंगाल	₹ 21.47	₹ 8.38
कुल	**₹ 447.28**	**₹ 83.34**

अनुलग्नक- II

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संसाधनों की संख्या (पीएमयू)
1	आंध्र प्रदेश	38
2	अरुणाचल प्रदेश	4
3	असम	11
4	बिहार	46
5	चंडीगढ़	2 (आंशिक पीएमयू)
6	छत्तीसगढ	17
7	गोवा	8
8	गुजरात	12
9	हरियाणा	14 (आंशिक पीएमयू)
10	हिमाचल प्रदेश	18 (आंशिक पीएमयू)
11	जम्मू और कश्मीर	7
12	झारखंड	41
13	कर्नाटक	26
14	केरल	25
15	लद्दाख	8
16	लक्षद्वीप	9
17	मध्य प्रदेश	12
18	महाराष्ट्र	4 (आंशिक पीएमयू)
19	मणिपुर	15
20	मेघालय	4
21	मिजोरम	9
22	नागालैंड	6
23	पुदुचेरी	11
24	पंजाब	9
25	राजस्थान	6
26	सिक्किम	16
27	तमिलनाडु	62
28	तेलंगाना	21
29	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	3
30	त्रिपुरा	7
31	उत्तर प्रदेश	13
32	उत्तराखंड	4 (आंशिक पीएमयू)
33	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	**513**

******